न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25/2018 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती दुर्गा पिता स्वर्गीय शंकरलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती अंशा पिता स्वर्गीय शंकरलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती डाडमी पिता स्वर्गीय शंकरलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती सोहनी बाई बेवा स्वर्गीय शंकरलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. गेहरीलाल पिता स्वर्गीय सुखलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. पन्नालाल पिता गेहरीलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर जो अपने आपको दत्तक पुत्र शंकरलाल जणवा का नहीं होते हुए कहता है।
3. भंवरलाल पिता स्वर्गीय सुखलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. मोहनलाल पिता स्वर्गीय सुखलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. मु. सोहनी बाई पिता स्वर्गीय सुखलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती चांदी बाई पिता स्वर्गीय सुखलाल जी जणवा, निवासी भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्त0 अधि0 – 1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
दिनांक 27.03.2018 प्र॰ सं॰ 54/17

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक
अपीलान्टगण

2. श्री राजमल राव अभिभाषक रे. सं. 3 से 6
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक

15—07—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भटेवर में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 के परिशिष्ठ ''क'', ''ख'', ''ग'', ''घ'' व ''ड.'' की भूमियां स्थित हैं, जो उक्त परिशिष्ठों में वर्णित खातेदारान के नाम पर अंकित हैं। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष सुखलाल जी ने कुलिया आराजियात का अपने चारों पुत्रों भंवरलाल, शंकरलाल, गेहरीलाल व मोहनलाल में बंटवाड़ा कर दिया, तब से पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु सुखलाल के फोत हो जाने के बाद विपक्षी संख्या 1 से 7 के मन में बदनियती आ जाने से प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने मिलकर परिशिष्ठ ''क'' की कुलिया जमीन जो सुखलाल जी के नाम अंकित थी, उसे अवैध व शून्य तरीके से सभी वारिसान के नाम हिस्सा बराबर से नामान्तरकरण की कार्यवाही करने पर उतारू हैं तथा प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे परिशिष्ठ ''क'' में अंकित आराजियात कुल किता 29 रकबा 54 बीघा 3 बिस्वा में प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की आराजियात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व हस्तान्तरण नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

विपक्षी संख्या 1, 2, 4 व 9 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि शंकरलाल जी ने कभी किसी को गोद नहीं रखा। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 3 आपस में पिता पुत्र होकर शंकरलाल जी की जमीन हड़पना चाहते हैं, जबकि शंकरलाल के तीन पुत्रियां व उसकी पत्नी

अभी जीवित होकर उसकी चल अचल संपत्ति पर काबिज हैं। मृतक सुखलाल जी की जमीन का कभी कोई बंटवाड़ा ही नहीं हुआ है तथा सुखलाल जी की जमीन पर उनके सभी वारिसान संयुक्त रूप से काबिज हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विपक्षी संख्या 3 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया तथा काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि सजरे अनुसार शंकरलाल जी के कोइ संतान नहीं थी, जिससे शंकरलाल व उसकी पत्नी विपक्षी संख्या 7 ने विपक्षी संख्या 3 को करीब 13 वर्ष की आयु में गोद लिया तथा वह ही विपक्षी संख्या 7 की सेवा व देखभाल करता है तथा विपक्षी संख्या 4 से 6 की ससुराल का सारा खर्च गोद भाई की हैसियत से उठाता है तथा राजकीय दस्तावेज में विपक्षी संख्या 3 के पिता का नाम शंकरलाल अंकित है। अतः विपक्षी संख्या 3 का काउण्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 4 से 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उक्त काउण्टर प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षी संख्या 4 से 7 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 3 द्वारा जो काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, वह बिना किसी दस्तावेज के पेश किया गया है। अतः काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विपक्षी संख्या 8 द्वारा भी जवाब व काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि सुखलाल जी ने अपन जीवनकाल में अपनी भूमियों का बंटवाड़ा अपने चारों पुत्रों भंवरलाल, शंकरलाल, गेहरीलाल व मोहनलाल व दोनों पुत्रियों सोहनीबाई व चांदीबाई के पक्ष में कर दिया, तब से सभी अपने 1/6, 1/6 हिस्से पर काबिज हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 7 ने विपक्षी संख्या 8 व 9 के हक अधिकारों को नुकसान पहुंचाने के लिए उक्त आवेदन प्रस्तुत किये हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 8 का काउण्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जावें।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करे हुए अपने निर्णय दिनांक 27–03–2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विपक्षी

संख्या 3 व विपक्षी संख्या 4 से 7 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/ विपक्षी संख्या 4 से 7 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19–04–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 6 की ओर से वकील श्री राजमल राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि किस पक्षकार का कितना हिस्सा है, यह तय करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है अतः उक्त कार्यवाही राजस्व न्यायालय में नहीं चल सकती। इस मामले में दावा केवल बंटवारे का किया गया है, घोषणा का वाद पेश नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी स्थिति को नजर अंदाज करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होन से खारिज करने की प्राथना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विस्तृत विवेचन करते हुए यह माना है कि प्रार्थी के कथनों की पुष्टि न तो दस्तावेज से हो सकी है और न ही विपक्षीगणों के काउण्टर प्रार्थना पत्रों की स्थिति स्पष्ट हो सकी है। सम्पूर्ण कथनों की पुष्टि मूल वाद में दस्तावेजों की प्रमाणिकता, गवाहान के बयानात, तनकियात के निर्णय से ही संभव है। उक्त आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये

रखने के आदेश दिये हैं, जो उपलब्ध साक्ष्यों की रोशनी में विधि सम्मत है, क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में दोनों ही पक्षों द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उनका निस्तारण मूलवाद में साक्ष्यों की आधार पर ही किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के जो दिये गये हैं, वे विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–03–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर